न्यायालय संख्या–1

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ

उपस्थितः– मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), अध्यक्ष।

दावा याचिका संख्या–1752/2025

बलिन्दर यादव आयु लगभग 49 वर्ष, पुत्र स्व0 चन्द्र देव यादव, निवासी ग्राम जगदीशपुर, पोस्ट–ताजपुर माझा, जनपद–गाजीपुर। .

..... याची

बनाम

1. उ0प्र0 सरकार द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 सिविल सचिवालय,लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।
3. पुलिस अधीक्षक, रायबरेली।

..... विपक्षीगण

श्री के0के0 पाण्डेय,याची के अधिवक्ता।
श्री पंकज सिंह, विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, विपक्षीगण की ओर से।

निर्णय

(द्वारा मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), अध्यक्ष।)

याची की ओर से यह याचिका उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत दण्डादेश दिनांकित 13–05–2025 एवं अपील निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 22–08–2025 जो पत्रावली पर कमशः संलग्नक संख्या–1 एवं 2 के रूप में मौजूद हैं को निरस्त करने एवं इन आदेशों के आधार पर रोके गये सेवा सम्बन्धी समस्त पारिणामिक लाभ दिये जाने तथा उक्त दण्डादेश के कारण स्वयं से वसूली गयी धनराशि वापिस पाने हेतु दिनांक 08–10–2025 को प्रस्तुत की गयी।

आदेश दिनांकित 13–05–2025 द्वारा विपक्षी संख्या–3–पुलिस अधीक्षक जनपद–रायबरेली ने याची को 04 दिवस के वेतन से अनधिक अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त दण्डादेश के विरूद्व याची द्वारा दाखिल

अपील विपक्षी संख्या–2–पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ के आदेश दिनांकित 22–08–2025 द्वारा निरस्त की गयी।

3– तथ्य के अनुसार विपक्षीसंख्या–3–पुलिस अधीक्षक, जनपद–रायबरेली ने कारण बताओ नोटिस दिनांकित 08–04–2026 जारी करते हुए याची को निम्न आरोप से आरोपित किया–

> ''वर्ष 2024 में जब आप पुलिस लाइन्स, रायबरेली में नियुक्त थे, तब आपकी ड्यूटी मा0 मन्त्री उ0प्र0 राज्य सरकार राज्य मन्त्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिनेश प्रताप सिंह के निजी निवास पंचवटी सिविल लाइन में सुरक्षा गार्द कमाण्डर के रूप में लगायी गयी थी। दिनांक 02–02–2025 को ड्यूटी चेकिंग के दौरान आप सुरक्षा गार्द ड्यूटी से बिना किसी अनुमति/अवकाश के गैरहाजिर पाये गये। आपका इस प्रकार का कृत्य अपने राजकीय कर्तव्यों के प्रति बरती गयी घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।''

उक्त नोटिस की प्रति दिनांक 10–04–2025 को प्राप्त कर उस पर अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांकित 10–04–2025 प्रस्तुत किया। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रारम्भिक जांच आख्या का अवलोकन कर आदेश दिनांकित 13–05–2025 पारित कर विपक्षीसंख्या–3–पुलिस अधीक्षक, जनपद–रायबरेली द्वारा याची को परिनिंदा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया, इस दण्डादेश के विरूद्व याची की अपील विपक्षीसंख्या–2–पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ के आदेश दिनांकित 22–08–2025 द्वारा निरस्त की गयी।

4– याची पक्ष से तर्क लिया गया कि वह दिनांक 23–11–2025 से राज्य मन्त्री श्री दिनेश प्रताप सिंह के निजी आवास पंचवटी सिविल लाइन्स में सुरक्षा हेतु गार्द ड्यूटी में गार्द कमाण्डर के रूप में नियुक्त था, उसके साथ आरक्षी श्री अतुल शर्मा एवं आरक्षी योगेन्द्र कुमार भी गार्द में सुरक्षा ड्यूटी में थे जिनकी 12–12 घण्टे की ड्यूटी रहती थी। दिनांक 02–02–2025 को आरक्षी अतुल शर्मा ड्यूटी पर मौजूद थे जिसे बताकर वह लगभग 12 बजे अपने आवास खाना खाने व नित्य–किया करने गये थे। क्योंकि गार्द स्थल पर लैट्रिन बाथरूम व आराम करने के लिये कोई व्यवस्था नही है। याची द्वारा यह भी कहा गया कि गार्द स्थल पर रहने, खाने एवं फैश होने की व्यवस्था न होने के कारण अपनी ड्यूटी के दौरान ही समय निकाल कर नित्य किया को सम्पादित करते हैं। स्नान करने हेतु बाथरूम की कोई व्यवस्था नही थी, चाय पीने के

लिए 01 किलोमीटर दूर व खाना खाने के लिए पुलिस लाइन या निजी आवास पर जाना पड़ता था। वह खाना खाकर अपने निवास में आराम कर रहे थे। समय करीब 4.22 बजे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री राजेश कुमार सिंह का फोन आया तो उसने बताया कि वह आवास पर है आ रहा है और तत्काल तैयार कर 4.40 बजे कार्य स्थल पर पहुँच गया। प्रभारी निरीक्षक को फोन मिलाकर अपनी उपस्थिति के सम्बन्ध में बताया। समय 4.40 बजे उसके द्वारा ड्यूटी पर पहुँचकर पूरी रात ड्यूटी की। उसने कभी भी अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई लापरवाही नही की। जांच अधिकारी द्वारा गार्द में तैनात पुलिस कर्मियों की मजबूरी एवं परिस्थितियों पर गम्भीरतापूर्वक चिन्तन एवं मनन न करके सरसरी तौर पर जांच पूरी करके उसे दोषी ठहराया गया। वह 03 सदस्यीय गार्द का कमाण्डर था इसलिए वह सुविधा अनुसार 06 घण्टे तक आरक्षी के साथ ड्यूटी करता था उसके बाद उस आरक्षी को नित्य किया एवं आराम करने हेतु छोड़ा जाता था। 06 घण्टे बाद दूसरा आरक्षी खाना खाने एवं आराम करने चला जाता था। क्योंकि उसे 24 घण्टे ड्यूटी करनी पड़ती थी, ऐसे में वह समय निकाल कर 2–3 घण्टे के लिए चला जाता था। मौके पर एक गार्द मौजूद था, उस समय मन्त्री जी भी अपने निवास पर नही थे न मौके पर कानून व्यवस्था की समस्या थी, भले ही पुलिस रैगुलेशन के अनुसार पुलिस की ड्यूटी 24 घण्टे रहती है किन्तु कोई भी कर्मी लगातार 24 घण्टे की ड्यूटी सम्पादित नही कर सकता एवं न ही सुरक्षा गार्द में लगे सभी पुलिस कर्मी एक साथ ड्यूटी करते है। सुरक्षा गार्द में लगे पुलिस कर्मी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए समय व परिस्थिति में तालमेल बनाकर पदीय कर्तव्यों का निवर्हन करते हैं। याची द्वारा यह भी तर्क लिया गया कि प्रश्नगत दण्डादेश एक मौन व अकारण पारित आदेश है, तदनुसार प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित 13–05–2025 एवं इसके पश्चात्वर्ती पारित अपीलीय आदेश दिनांकित 22–08–2025 को विधि विरूद्व एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण उन्हें निरस्त करने तथा याचिका को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

9– विपक्षी पक्ष से याची के तर्को का विरोध करते हुए तर्क लिया गया कि गार्द की ड्यूटी दुपहर 12 बजे बदलनी बतायी गयी तथा याची के स्वयं के कथनानुसार वह करीब 12.00 बजे खाना खाने व नित्य किया करने गया था किन्तु याची निरीक्षण के समय 4.22 बजे पर भी मौके पर नही मिला है। आरक्षी अतुल शर्मा जो निरीक्षण के समय मौके पर मौजूद

मिला उसने भी यह कहीं नही कहा कि याची उसे बताकर कहीं गये हैं। पुलिस कर्मी की ड्यूटी 24 घण्टे की होती है एवं याची उक्त 03 सदस्यीय गार्द का कमाण्डर था, अतः उसकी पर्यवेक्षणीय ड्यूटी थी जिसे याची द्वारा उचित रूप से पूर्ण नही किया गया। अतः याची के विरूद्व पारित दण्डादेश एवं इसके पश्चात्वर्ती पारित अपीलीय आदेश में किसी नियम, कानून अथवा प्रकिया का उल्लंघन न होना बताते हुए इनमें किसी हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बताया गया एवं याचिका को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

10— उपरोक्त अभिकथनों पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के कथनों को सुनने एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन करने के पश्चात मैं निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुॅचती हूॅ—

11— याची पर आरोप है जब वह उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मन्त्री श्री दिनेश प्रताप सिंह के निजी आवास पर सुरक्षा गार्द में कमाण्डर के रूप में नियुक्त थे तब वह दिनांक 02—02—2024 को ड्यूटी चैकिंग के दौरान सुरक्षा गार्द ड्यूटी से बिना किसी अनुमति/अवकाश गैर हाजिर पाया गया।

12— याची का कथन है कि गार्द स्थल पर कोई शौचालय, स्नानघर व आराम करने की कोई व्यवस्था नही है, वहॉ स्नान करने हेतु कोई स्नानघर नही था, चाय पीने के लिए 01 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था तथा खाना खाने के लिए पुलिस लाइन या अपने निजी घर जाना पड़ता था, क्योंकि पूरे 24 घण्टे एक व्यक्ति द्वारा लगातार ड्यूटी करना सम्भव नही था अतः याची सुविधा के अनुसार 6 घण्टे आरक्षी के साथ ड्यूटी करता था उसके बाद उस आरक्षी को नित्य—किया एवं आराम करने के लिए छोड़ देता था। 06 घण्टे बाद दूसरा आरक्षी खाना खाने व आराम करने चला जाता था। वह भी कमाण्डर होने के नाते समय निकालकर स्नान, ध्यान एवं खाना खाने हेतु 2—3 घण्टे के लिए अपने घर चला जाता था।

13— यह सही है कि याची की सुरक्षा गार्द में कमाण्डर के रूप में नियुक्ति थी एवं प्रत्येक सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी पुलिस रैगुलेशन के अनुसार 24 घण्टे की होती है। उक्त 24 घण्टों में व्यक्ति की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गार्द स्थल पर लैट्रिन, स्नानघर व आराम करने की कोई व्यवस्था हो या चाय पीने या खाना खाने की व्यवस्था हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है एवं याची के कथनानुसार क्योंकि

वह 02 आरक्षियों के साथ गार्द कमाण्डर नियुक्त था, अतः वह 6–6 घण्टे के बाद 02 आरक्षियों के साथ बारी–बारी से ड्यूटी करता था एवं 6–6 घण्टें के बाद बारी–बारी से आरक्षीगण दैनिक कियाओं एवं आराम करने के लिए चले जाते थे एवं स्वयं भी वह उक्त 24 घण्टों में परिस्थितिवश समय निकाल कर दैनिक कियाओं, स्नान, पूजा ध्यान एवं आराम करने के लिए अपने निजी निवास स्थान जाता था। गार्द स्थल पर चूंकि शौचालय, स्नानघर व आराम करने की कोई व्यवस्था नही दी गयी तो निश्चित रूप से कमाण्डर जिसकी ड्यूटी दोनों आरक्षियों को कमाण्ड करने की थी उसे भी दैनिक कियाओं–भोजन, स्नान व आराम हेतु घर जाने की आवश्यकता थी एवं याची के कथनानुसार वह परिस्थिति देखते हुए ही ड्यूटी स्थल से अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूति हेतु जाता था।

14– जिस समय निरीक्षण में याची ड्यूटी पर अनुपस्थित पाया गया स्वीकृत रूप से उस समय मन्त्री जी आवास पर नही थे एवं याची के जाने बाद मौके पर कोई कानून व्यवस्था सम्बन्धी कोई समस्या पैदा नही हुई। मन्त्री जी ने भी अपनी सुरक्षा की कोताही के सम्बन्ध में याची के विरूद्व कोई शिकायत नही की। जांच अधिकारी के समक्ष याची के साथ–साथ दोनों आरक्षीगण के बयान हुए जिसमें मौजूद आरक्षी ने सह आरक्षी के साथ–साथ 06–06 घण्टे की ड्यटी करना तथा निरीक्षण के समय साथी आरक्षी श्री योगेन्द्र कुमार को 12.00 बजे तक ड्यूटी करके पुलिस लाइन जाना तथा गार्द कमाण्डर हैड कान्सटेबिल याची को भी पुलिस लाइन खाना खाने के लिए जाना बताया। उक्त मौजूद आरक्षी अतुल शर्मा के अनुसार भी गार्द स्थल पर रहने, शौचालय एवं स्नान की कोई व्यवस्था नही थी, ऐसी स्थिति में जबकि ड्यूटी स्थल पर एक आरक्षी अतुल शर्मा मौजूद था। दूसरा आरक्षी अपनी ड्यूटी बदली पर पुलिस लाइन गये थे एवं याची द्वारा आरक्षी अतुल शर्मा को ड्यूटी पर सहेज कर खाना खाने एवं नित्य किया करने अपने निजी आवास पर जाया गया था।

15– यदि दण्डाधिकारी का आदेश देखा जाये तो दण्डाधिकारी द्वारा याची की ड्यूटी स्थल से आवश्यक कार्य पर जाने हेतु उच्चाधिकारीगण से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता बतायी जबकि नित्यकर्म करने अथवा चाय पीने अथवा खाना खाने जाने के लिए याची को गार्द कमण्डर के पद पर रहते हुए हर बार उच्चाधिकारियों से अनुमति लेना सम्भव नही था। दण्डाधिकारी के आदेश को देखा जाये तो इसमें याची के स्पष्टीकरण कि गार्द स्थल पर लैट्रिन, स्नानघर, भोजन, चाय आदि

की कोई व्यवस्था नही है जिसके लिए उन्हें बाहर पुलिस लाइन अथवा अपने आवास पर जाना पड़ता है के सम्बन्ध में कोई अंकन अथवा विवेचन नही किया गया, न ही इसमें याची के स्पष्टीकरण का अंकन एवं विवेचन न किये जाने से इसे मुखर आदेश ही कहा जा सकता है वहीं प्रश्नगत दण्डादेश मानवीय दृष्टिकोण से भी उचित नही कहा जा सकता। परिणामतः प्रश्नगत आदेश याची के स्पष्टीकरण को अंकित एवं विवेचित न करते हुए एक मौन आदेशपाया जाता है जिसमें निष्कर्ष तक पहुॅचने का कोई स्पष्ट कारण अंकित नही किया गया।

16— डी0जी0 परिपत्र संख्या 29/2022 दिनांकित सितम्बर 14, 2022, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर विस्तार लखनऊ में समस्त पुलिस अधिकारियों व सेनानायकों को यह निर्देश दिया गया कि दण्डादेश पारित करते समय दण्डाधिकारी आरोपित अधिकारी/कर्मचारी के स्पष्टीकरण में उल्लिखित सभी तर्को, बिन्दुओं पर टिप्पणी करते हुए मुखरित एवं स्पष्ट आदेश पारित करेंगे केवल यह लिखकर इतिश्री नही की जायेगी कि आरोपित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत तर्क बलहीन/मान्य नही है।

17— नजीर **G.Valli Kumari Versus Andhra Educatio Society and others (2010) 1 Supreme Court Cases (L&S) 406** के चरण—19 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निम्न सिद्वान्त भी यहां उल्लेखनीय है—

> **"The requirement of recording reasons by every quasi judicial or even an administrative authority entrusted with the task of passing an order adversely affecting an individual and communication thereof to the affected person is one of the recognized facets of the rules of natural justice and violation thereof has the effect of vitiating the order passed by the concerned authority. "**

18— इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि जहां दण्डाधिकारी का निष्कर्ष मानवीय संवेदनाओं से दूर नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है वहीं प्रश्नगत आदेश एक मौन व अकारण पारित आदेश है, अतः आदेश दिनांकित 13—05—2025 तथा इसके पश्चात्वर्ती पारित अपीलीय आदेश दिनांकित 22—08—2025 विधि—सम्मत एवं नियमानुकूल न होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं। तदनुसार याची की याचिका स्वीकार होने योग्य पायी जाती है।

19— याची से कोई धनराशि वसूल की गयी हो ऐसा उसका कोई कथन नहीं है। अतः कथित धनराशि वापिस कराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

आदेश

याची की याचिका स्वीकार की जाती है। विपक्षीसंख्या—3—पुलिस अधीक्षक,जनपद—रायबरेली,द्वारा पारित दण्डादेश दिनांकित—13—05—2025 एवं विपक्षीसंख्या—2—पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ द्वारा पारित अपील निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 22—08—2025 जो पत्रावली पर कमशः संलग्नक संख्या—1 एवं 2 के रूप में मौजूद हैं निरस्त किये जाते हैं। इन आदेशों के आधार पर रोके गये सेवा सम्बन्धी समस्त लाभ याची नियमानुसार पाने का अधिकारी है। इस निर्णय का अनुपालन विपक्षीगण द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के अन्दर सुनिश्चित हो।

उभयपक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेगे।

ह0
(न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर)
अध्यक्ष

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0
(न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर)
अध्यक्ष

दिनांक : 20—08—2026
आरपी/पीएस